

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/संवि./ए/32/2009/ 622

भोपाल, दिनांक 07/09/09

प्रति,

आयुक्त,

आदिवासी विकास विभाग,

सतपुड़ा भवन, भोपाल.

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन करने बाबत।

—0—


विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित ज्ञाप दिनांक 08.11.05 की कंडिका-6 अनुसार निम्नलिखित प्रकरण में आपके विभाग से कार्यवाही की जाना है :-

क्र	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम	अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति	संविलियन किये जाने की विभागीय अनुशंसा
	1	2	3	4	5
1	श्री कृपाल प्रसाद झारिया अध्यापक (विकलांग) शा.मा.शा. खमतरा जिला कटनी	जिला पंचायत कटनी जिला कटनी जा.क्र. 3287 दि. 08.07.09	जिला पंचायत डिण्डौरी जिला डिण्डौरी जा.क्र. 2316 दि. 27.06.09 शा.मा.शा. बडखेश शा.मा.शा. भरद्वारा शा.मा.शा. मंगेला	अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न है।	

अतः आवेदक से प्राप्त आवेदन एवं अन्य अभिलेख संलग्न कर मूलतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

  
07.9.09

उप संचालक


लोक शिक्षण, म.प्र. •

भोपाल, दिनांक 07/09/09

पृष्ठांकन क्रमांक/संवि./ए/32/2009/ 623

प्रतिलिपि :-

संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।

  
07.9.09

उप संचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्म/ए/32/2009/ 624  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 07/09/09

जिला शिक्षा अधिकारी,  
जिला-सिवनी  
मध्यप्रदेश.

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।


—0—

विषयांतर्गत लेख है कि अन्य विभाग से संबंधित मान. मंत्री जी, से प्राप्त पत्र में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	मान. मंत्री जी से प्राप्त नोटशीट/पत्र का क्र. एवं दिनांक	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्री हरिनारायण हिर्वानी सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. कोहका जिला सिवनी	जा.क्र. 31 दि. 10.07.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।


अतएव कृपया उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदकों को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

  
उपसंचालक 07.9.09  
लोक शिक्षण, म.प्र.  
भोपाल, दिनांक 07/09/09

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्म/ए/32/2009/ 625  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी एवं सहकारिता, मंत्रालय, भोपाल।
2. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।

  
उपसंचालक 07.9.09  
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्मी/32/2009/ 626  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 07/09/09

जिला शिक्षा अधिकारी,  
जिला-मुरैना,  
मध्यप्रदेश.

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।


—0—

विषयांतर्गत लेख है कि मान. मुख्यमंत्री जी कार्यालय से प्राप्त टीप में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में वास्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाखा का नाम	मा.मुख्यमंत्री जी कार्या. द्वारा प्राप्त नोटशीट/पत्र	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्रीमती चन्द्रा कसेडिया सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. हनुमान नर सबलगढ जिला मुरैना	जा.क्र. 622 दि. 16.07.09	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संविलियन निकाय की अनापत्ति एवं अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन आदेश की प्रति संलग्न नहीं की गई है।

अतएव कृपया उक्त तालिका के कॉलम क्रमांक 4 में वर्णित स्थिति के संबंध में आवेदकों द्वारा कमी पूर्ति से संबंधित आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर संविलियन की अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जा सकेगा। अतः इस संबंध में उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदकों को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


  
उपसंचालक 7.9.09

लोक शिक्षण, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 07/09/09

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्मी/32/2009/ 627  
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
1. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदकों की ओर सूचनार्थ।

  
उपसंचालक 7.9.09  
लोक शिक्षण, म.प्र.